

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)



इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 18/2017

बउनवान

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारां जयें जिला पुलिस अधीक्षक, बारां
(सायल)

बनाम

श्री दयाराम उर्फ रामदयाल उम्र 35 वर्ष पुत्र राधाकिशन हरिजन निवासी बडवा जिला बारां
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3

उपस्थिति :- 1- ए.पी.पी. (सायल)

2- श्री अशोक मीणा अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 11.3.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री दयाराम उर्फ रामदयाल पुत्र राधाकिशन जाति हरिजन निवासी बडवा थाना अन्ता जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अन्ता क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके विरुद्ध पुलिस थाना अन्ता मे वर्ष 2013 से 2017 के मध्य कुल 5 प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणो मे से जुआ सट्टा से संबंधित 4 प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका। इसका आम जनता मे भय एवं आतंक व्याप्त है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधिया निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	68/13	13 आरपीजीओ	49/10.03.13	सजा/09.04.13
2.	370/15	13 आरपीजीओ	261/12.10.15	सजा/28.10.15
3.	141/16	341, 323, 34 भादसं	121/27.04.16	पे0 कोर्ट
4.	41/17	13 आरपीजीओ	20/30.01.17	सजा/07.04.17
5.	113/17	13 आरपीजीओ	77/21.03.17	सजा/29.05.17

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उपरोक्त 4 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत इस्तगासा दिनांक 8.9.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्मे अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर, लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना अन्ता जिला बारों में वर्ष 2013 से 2017 के मध्य कुल 5 प्रकरण दर्ज हुये हैं। उक्त 5 प्रकरणों में से 4 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के में न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। इस सजायाबी आपराधिक रिकार्ड के आधार पर यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसों की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के कथनों को दौहराते हुये कहा गया कि गैरसायल ग्राम बडवा थाना अन्ता जिला बारों का रहने वाला है एवं शांतिप्रिय व्यक्ति है। जिसके खिलाफ सामान्य प्रवृत्ति के 13 आर.पी.जी.ओ. के मुकदमें दर्ज होने के परिणाम स्वरूप गैरसायल के विरुद्ध यह कार्यवाही पेश कर दी गयी है। यह कि गैरसायल बाल बच्चेदार व्यक्ति है जिसके ऊपर अपनी पत्नि अपने 3 बच्चों एवं अपनी वृद्ध माता जो अक्सर बीमार रहती है की देखरेख की जिम्मेदारी है। गैरसायल एक मात्र अपने परिवार का भरण पोषण एवं देखभाल करने वाला व्यक्ति है। गैरसायल के विरुद्ध उक्त जो मुकदमें दर्ज हुये हैं वह परिस्थितिवश हुये हैं। गैरसायल की परिस्थिति को देखते हुये, गैरसायल के साथ नरमी बरतते हुये गैरसायल के प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायल के साथ नरमी का रूख बरतते हुये गैरसायल के प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करे।

इसके विरुद्ध ए.पी.पी. द्वारा कहा गया कि गैरसायल को धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के 4 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है। जबकि 2 प्रकरणों में ही गुण्डा एक्ट की परिभाषा में गैरसायल का आना पूर्णतया सिद्ध है।

हमने ए.पी.पी. एवं गैरसायल अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना अन्ता जिला बारों में वर्ष 2013 से 2017 के मध्य कुल 5 प्रकरण दर्ज हुये हैं। उक्त 5 प्रकरणों में से 4 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के में न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। गैरसायल द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों में जुर्म स्वीकार किये गये हैं तथा माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को सजायाब कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल श्री दयाराम उर्फ रामदयाल पुत्र राधाकिशन जाति हरिजन निवासी बडवा थाना अन्ता जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के 4 प्रकरणों में दोषी ठहराया हुआ है।

अतः गैरसायल श्री दयाराम उर्फ रामदयाल पुत्र राधाकिशन जाति हरिजन निवासी बडवा थाना अन्ता जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारों जिले के पुलिस थाना क्षेत्र अन्ता से 7 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री दयाराम उर्फ रामदयाल पुत्र राधाकिशन जाति हरिजन निवासी बडवा थाना अन्ता जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना अन्ता से 7 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारों जिला बारों को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रुपये का स्वयं मुचलका इस अवधि में नेचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 25.3.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारों एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारों जिला बारों को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारों को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र अन्ता से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारों जिला बारों के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 11.3.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारों